भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2350
उत्तर देने की तारीख: 16.12.2024

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बंद की गई छात्रवृत्ति योजनाएं

2350. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:
श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए बंद की गई छात्रवृत्ति योजनाओं को पुन: शुरू करने अथवा उनके स्थान पर नई योजनाएं लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार विगत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं को बंद किए जाने के कारणों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध करवाएंगी;
(ग) क्या बंद की गई योजनाओं की भरपाई करने के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु बजट आबंटन में वृद्धि करने की कोई योजना है; और
(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंच रही है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज को 2022-23 से संशोधित किया गया है और इसे केवल कक्षा IX और X के लिए लागू किया गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान करता है। यह संशोधन अन्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित समान छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ योजना को सुसंगत बनाने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा, छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, जिसे मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF) द्वारा कार्यान्वित किया गया था, को 2022-23 से अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ शामिल कर दिया गया है।

(ग): छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए बजट आवंटन वर्ष की संचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(घ): छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने सभी आवेदकों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है।

*****